अग्निपथ योजना एवं अगनिवीरो तथा नियमित सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में अंतर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल पर जनवरी में बारूदी सुरंग विस्फोट में मारे गए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं देने की बात कही है।
- हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान मारे गए अग्निवीर के परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है।
- हालांकि इस मामले में सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि ड्यूटी के दौरान मारे गए अग्निवीर के परिवार को 1.65 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाता है जिसके तहत सुरंग विस्फोट के दौरान मारे गए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को अब तक 98.39 लाख का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

क्या है अग्निपथ योजना –

- अग्निपथ योजना सेना (तीनों ARMY, AIR FORCE और NAVY) में अधिकारी रैंक के नीचे से सैनिकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा 16 जून 2022 को की गई।
- इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को 'अग्निवीर' कहा जाता है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया।
- इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 45 हजार से 50 हजार सैनिकों की भर्ती की योजना रखी गई है।
- इस योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों में से केवल 25% अग्निवीरों को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा जारी रहेगी जबकि शेष 75% अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के बाद सेना छोड़ना पड़ेगा।

क्यों लागू की गई अग्निपथ योजना –

- सरकार के अनुसार अग्निपथ की सेना में 'युवा प्रोफाइल' को बढ़ावा देगा।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लागू होने से पहले सेना की औसत आयु 32 वर्ष थी जो इस योजना के लागू हो जाने से लगभग 26 वर्ष तक हो जाएगी।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीर सेना को उच्च तकनीक और अल्ट्रा आधुनिक बनाने में मदद करेगा।

Result Mitra

- इसके अलावा 'अग्निपथ योजना' सेना में वेतन और पेंशन बिल को कम करने में मदद करेगा तथा इस प्रकार बचे धनराशि का उपयोग सेना को 'आधुनिक' बनाने एवं नए हथियारों को खरीदने में किया जा सकेगा।
- अधिक सेना भर्ती से युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होगा।
- युवाओं को आने वाले भविष्य में किसी युद्ध या आपातकालीन स्थिति के लिए युवा को तैयार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।
- अग्निपथ योजना के तहत अपनी चार वर्षो की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर सेवा में सीखे गए शिक्षा, कौशल, अनुशासन एवं अन्य गुणों के माध्यम से नागरिक समाज में अपना योगदान दे सकते हैं।

अग्निवीरों के लिए पात्रता –

- अग्निपथ योजना के तहत 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार 'अग्निवीर' की आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- इसके अलावा भर्ती के वही मानक है जो अग्निपथ योजना के लागू होने से पहले निर्धारित था।

चयन के बाद –

- अग्निवीरों के एक बार चयन हो जाने के बाद उन्हें 6 महीने का सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा और फिर उनकी तैनाती 3.5 साल के लिए की जाएगी।
- अग्निवीरों को इन चार वर्षो के दौरान 30 हजार से 40 हजार रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं एवं इसके साथ वो अन्य जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के हकदार होते हैं।
- अग्निवीरों के चार साल के उनकी सेवा के दौरान उनके वेतन का 30% 'सेवा निधि कार्यक्रम' के तहत काटेगी जिसमें सरकार हर महीने उतनी ही राशि का योगदान करेगी जिस पर उन्हें ब्याज भी मिलेगा।
- 4 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद अग्निवीरों को उनके वेतन के अलावा 11.71 लाख की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी जो कर मुक्त (Tax free) होगा।
- 4 साल पूरा होने के बाद दुबारा चुने गए 25% अग्निवीर जिन्हें स्थाई कमीशन मिलेगी उनके लिए शुरुआती 4 साल की अवधि को सेनानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं माना जाएगा।

अग्निवीरों एवं नियमित सैनिकों की बीमा और अनुग्रह राशि (Insurance and ex gratia) –

- युद्ध में हताहत या मारे जाने अग्नि वीरों के लिए मुआवजे की प्रणाली को तीन श्रेणियां एक्स (X), वाई (Y) और जेड (Z) में वर्गीकृत किया गया है।
- जबकि नियमित सैनिकों की मौत को पांच श्रेणियां A से E में वर्गीकृत किया गया है।
- श्रेणी A (नियमित सैनिक) एवं श्रेणी X (अग्निवीर) में ऐसे सेना को रखा जाता है जिनकी मौत सैन्य सेवा के दौरान नहीं होती है।
- श्रेणी B और श्रेणी C (नियमित सैनिक) एवं श्रेणी Y (अग्निवीर) में ऐसे सेना को रखा जाता है जिनकी मौतें सैन्य सेवा के दौरान होती हैं।
- जबकि श्रेणी D और E (नियमित सैनिक) और श्रेणी Z (अग्निवीर) में उन सेवा को रखा जाता है जिनकी मौतें हिंसा, प्राकृतिक आपदा, दुश्मन की कार्रवाई, सीमा पर झड़पों और युद्ध जैसी स्थितियों में होती है।

बीमा (Insurance) –

- सभी नियमित सैनिक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में प्रति माह ₹5000 का योगदान करते हैं जो उनका 50 लख रुपए का बीमा करता है जबकि अग्निवीरों को इसके तुलना में 48 लख रुपए का बीमा होता है।
- इन बीमा राशियों का भुगतान सभी स्थायी सैनिक और अग्निवीरों को किया जाता है चाहे इनकी मृत्यु का कारण कोई भी हो।

अनुग्रह राशि (Ex gratia) –

Result Mitra

- सैन्य सेवा के दौरान हुई मृत्यु के कारण अग्निवीरों को 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है जबकि नियमित सैनिकों को यह अनुग्रह राशि हताहत की प्रकृति के अनुसार 25 से 35 लाख के बीच दिया जाता है।
- हालांकि ऐसे अग्निवीर या स्थायी सैनिक जिनकी मृत्यु सैन्य सेवाओं के कारण नहीं होती है उन्हें किसी भी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं प्रदान किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा अग्निवीरों एवं स्थायी सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 'सेना' के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।
- इसके अलावा घायल अग्निवीरों एवं नियमित सैनिकों को ऑपरेशन के दौरान मृत्यु होने पर 8 लाख रुपए एवं अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर 2.5 लाख रुपए दी जाती है।

अग्निवीरों के लिए सेवा निधि –

- सेवा निधि एक अंशदानी (Contributory Scheme) है जो सिर्फ अग्निवीरों के लिए लागू है।
- इस सेवा निधि के अंतर्गत ऐसे अग्निवीर जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के दौरान नहीं होती उन्हें सेवा खत्म होने की तारीख तक की गई जमा राशि सरकार की योगदान के साथ ब्याज सहित मिलता है।
- हालांकि जिन अग्निवीरों की मृत्यु सैन्य सेवा के दौरान हो जाती है उन्हें सेवा निधि घटक सहित 4 साल की अवधि तक का पूरा वेतन दिया जाता है।

केवल नियमित सैनिक –

- कुछ लाभ जैसे ग्रेच्युटी और मासिक पारिवारिक पेंशन केवल नियमित सैनिकों को ही दिया जाता है।
- नियमित सैनिकों की सैन्य सेवा के दौरान मृत्यु होने पर एक विशेष पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह उनके परिवार के किसी सदस्य को दिया जाता है, जो सैनिक के अंतिम वेतन 60% होता है।
- इस विशेष पारिवारिक पेंशन को वन रैंक वन पे (OROP) प्रणाली और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया है जिसमें DA घटक को भी जोड़ा जाता है।
- सैन्य सेवा के दौरान मरने वाले नियमित सैनिकों के बच्चे को शिक्षा भत्ते के रूप में 'स्नातक' होने तक भत्ता दिया जाता है।
- हालांकि नियमित सैनिकों के बच्चे को कक्षा 1 के लिए 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 50 हजार रुपए प्रति वर्ष तक शैक्षणिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
- नियमित सैनिक के परिवार की भूतपूर्व सैनिक अंशदानी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के तहत मुफ्त में चिकित्सा देखभाल सैन्य अस्पतालों में की जाती है।

Result Mitra